न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) सीकर
पीठासीन अधिकारी :– कुणाल राहड़, आर0ए0एस0

वाद सं :: 32/2021
जीसीएमएस सं0 2021/3

कजोड़ (मृत)
1/1 भंवरी देवी पुत्री कजोड़
1/2 सोनी पुत्री कजोड़
1/3 श्रवणी पुत्री कजोड़
1/4 गीता पुत्री कजोड
1/5 चम्पा पुत्री कजोड
1/6 सीता पुत्री कजोड
1/7 मुन्नी पुत्री कजोड़
1/8 सरिता पुत्री कजोड
1/9 ललिता पुत्री कजोड
1/10 रामगोपाल पुत्र कजोड
1/11 भागोती देवी पत्नि नौरंगलाल पुत्र कजोड
1/12 सुनिता पुत्री नौरंगलाल पुत्र कजोड
1/13 अंजु पुत्री नौरंगलाल पुत्र कजोड
1/14 अशोक कुमावत पुत्र नौरंगलाल पुत्र कजोड
1/15 योगेश कुमार पुत्र नौरंगलाल पुत्र कजोड़

– वादीगण,

बनाम

5. प्रभुदयाल पुत्र जोधाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी पलसाना तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर।
6. पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना।
7. उप पंजीयक,पलसाना।
8. तहसीलदार, दांतारामगढ़।

– प्रतिवादीगण

उपस्थित :– . 1.श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत,वकील वादीगण की ओर से।
2. ,, बजरंग लाल शर्मा, प्रति0सं0 1 की ओर से।

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

[illegible] कलक्टर(मु.)सीकर

## निर्णय

दिनांक :: 15.01.25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है कि कृषि भूमियां ख0नं0 828 रकबा 2.4700 है0 ख0नं0 851 रकबा 0.0900 है0 ख0नं0 852 रकबा 4.0800 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.6400 है0 तथा ख0नं0 849 रकबा 1.3300 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.3300 है0 ग्राम पलसाना प0ह0 पलसाना भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है, जिसमें वादी का 1/2 हक हिस्सा तथा प्रति0सं0 1 का 1/2 हक हिस्सा एंव कब्जा काश्त है। उक्त वर्णित कृषि भूमियां वादी एंव प्रति0सं0 1 की संयुक्त व अविभाजित कृषि भूमियां है, जिसका पक्षकारों के मध्य आज तक विधिवत रूप से बाई मिट्स एंव बाउण्डस बंटवारा नहीं हुआ है। पक्षकार अपने–अपने हक हिस्से के अनुसार मौके पर अंदाज से काश्त करते चले आ रहे है। पक्षकारों के मध्य विधिवत बंटवारा नहीं होने से वादी एंव प्रति0सं0 1 में आपस में मनमुटाव एंव काश्त के दिनों में लडाई झगडे की स्थिति बनी रहती है तथा प्रति0सं0 1 वादी की वृद्धावस्था का नाजायज फायदा उठाते हुए वादी कभी आवागमन कारास्ता बंद कर देता है तथा जुराठडा रोड के नजदीक भूमि होने के कारण जो रोड के कीमती हिस्से पर जोर–शोर से निर्माण कार्य चालू कर रखा है जिसका प्रति0सं0 1 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। वादी प्रति0सं0 1 से राजस्व रिकार्ड में अंकित अपने हक हिस्से के अनुसार विधिवत बंटवारा करवाकर अलग खाता व अलग लगान निर्धारित करवाने के लिए कहता रहा है किन्तु प्रति0सं0 1 वादी को हमेशा बंटवारा करवाने से इंकार करता रहता है। प्रति0सं0 1 बसाजिश प्रति0सं0 3 ता 4 विवादित भूमि को बिना बंटवारा करवाये ही विवादित भूमि के विशिष्ट भू भाग को विक्रय व हस्तांतरित करने वादी को उसके कब्जे अधिकार व उपयोग उपभोग से वंचित करने पर आमादा है। अगर प्रतिवादी सं0 1 अपनी अनुचित व अवैध काय्रवाही में सफल हो गया तो वादी का न्यायालय के समक्ष वाद पेश करने का उद्वेश्य ही विफल होकर वादी की अपार क्षति होगी। न्यायहित में प्रति0सं0 1 के उपरोक्त दृष्कृत्य से रोकने के लिए उन्हें मय परिवारजन, नौकरजन व प्रतिनिधिगण जरिये निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाना उचित व आवश्यक है। वादीगण ने वाद पेश कर वाद की मद सं0 11 की उप मद क,ख,ग, घ अनुसार वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर प्रति0सं0 1 की ओर से वकील बजरंगलाल शर्मा उपस्थित आए तथा दिनांक 11.03.22 को वादी एंव प्रतिवादी सं0 1 की सहमति के आधार पर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव चाहे जाने पर तहसीलदार, दांतारामगढ़, सीकर ने जरिये पत्रांक भू0अ0/2024/4164 दिनांक 02.08.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये जाने पर वकील वादी /प्रार्थी/आपत्तिकर्ता 1/14 अशोक कुमार ने जरिये वकील आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा विवादित भूमि का विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाते समय भूमि के समस्त खातेदारों को किसी प्रकार की कोई सूचना या नोटिस नहीं दिया। जबकि न्यायालय द्वारा निर्देश दिया गया था कि पक्षकारों को विधिवत सूचना दी जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार करवावे। प्रति0सं0

[illegible] कलक्टर(मु.) सीकर

1/14 विधार्थी है तथा अपने भविष्य को बनाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की घर पर ही रहकर ही अध्ययन कर अपनी तैयारी में लगा रहता है। आपत्तिकर्ता के नोटिस पर तामील कुनिन्दा द्वारा अंकित किया गया है कि घर पर मौजूद लेने से मना किया तथा अन्य प्रतिवादीगण के नोटिसों पर भी यह अंकित किया गया है कि प्राप्तकर्ता मौजूद नहीं मिला, खुले मकान पर चस्पा किया गया। जबकि सभी घर पर ही मौजूद थे। विधिवत नोटिस तामील नहीं करवाए जाने के कारण विभाजन प्रस्ताव एकतरफा कार्यवाही में बनाया गया होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव मौके पर जाकर नहीं बनाया गया है क्योंकि विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मौके पर इतनी भूमि नहीं है। मात्र रिकार्ड के अनुसार विभाजन प्रस्ताव बनाया गया है तथा विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मौके पर आपस में विवाद की स्थिति नहीं हुई है। आपत्तिकर्ता को भूमि ख0नं0 852/4 रकबा 3.7825 विभाजन प्रस्ताव में दी गई है, जिसमें मकानात बने हुए है। परन्तु वादी को ख0नं0 852/3 रकबा 0.1075 है0 भूमि दी गई है, जो आपत्तिकर्ता के मकानात के सामने गलत रूप से दी गई है। इसके अलावा वादी को भूमि ख0नं0 849/1 व 849/3 दी गई है। विवाद पैदा करने के उद्वेश्य से आपत्तिकर्ता को दी गई भूमि के पश्चिम दिशा में वादी को छोटा सा रकबा 0.1075 है0 भूमि दी गई है जबकि वादी को ख0नं0 849/1 व 849/3 के लगती हुई ही भूमि रकबा 0.1075 है0 दूसरे ख0नं0 में से दी जा सकती थी, जो भूमि भी रोड़ के नजदीक ही है। परन्तु आपत्तिकर्ता के मकान के सामने भूमि दिये जाने के कारण आपत्तिकर्ता का रोड पर फ्रंट कम कर दिया गया है। इस कारण भी विभाजन प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। आपत्तिकर्ता को बंटवारे में भूमि ख0नं0 851 रकबा 0.0900 है0 भूमि अन उपजाउ दी गई है, जिसका मौके पर कोई अस्तित्व ही नहीं है। जबकि वादीगण ने मनचाहे रूप से मिलीभगत करके विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाकर अपने हक में अच्छी में से अच्छी भूमि प्राप्त की गई है। इस कारण भी विभाजन प्रस्ताव पक्षकारों को समान रूप से भूमि नहीं दिये जानेके कारण विभाजन प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। विभाजन प्रस्ताव न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के पालना में तैयार नहीं किया जाकर सभी पक्षकारों को सूचना व नोटिस दिये बिना तथा मनमर्जी मौके पर तैयार नहीं करवाए जाने के कारण भी निरस्त किये जाने योग्य है तथा विभाजन प्रस्ताव पर आपत्तिकर्ता व उसके परिवार के अन्य सह खातेदार के कोई हस्ताक्षर नहीं होने के कारण भी विभाजन प्रस्ताव निरस्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी/आपत्तिकर्ता 1/14 द्वारा आवेदन पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.08.24 न्यायालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के विपरिज जाकर तैयार किया गया होने के कारण विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.08.24 निरस्त किया जाकर दूसरा विभाजन प्रस्ताव मंगवाने हेतु निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का जवाब पेश न कर सीधे बहस कर निवेदन किया है कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता 1/14 अशोक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.08.2024 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार होना बताते हुए प्रार्थी/ आपत्तिकर्ता 1/14 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया गया। 6

[illegible] कलक्टर(मु.)सीकर

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र बाबत आपत्ति विभाजन प्रस्ताव दिनांक 02.08.2024 एंव तहसीलदार, दांतारामगढ़ पत्रांक भू0अ0/24/4164 दिनांक 02.08.24 के द्वारा भिजवाये गये विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। अवलोकन से जाहिर है कि तहसीलदार, दांतारामगढ़ द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु पक्षकारान को विभाजन प्रस्ताव दिनांक 12.06.24 को तैयार करने हेतु नोटिस जारी किया जाकर सूचना दी गई थी। अगर प्रार्थी/आपत्तिकर्ता 1/14 अशोक कुमार को किसी प्रकार की आपत्ति थी तो तहसीलदार,दांतारामगढ़ के समक्ष विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के दौरान उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करवानी चाहिए थी। वादी सं0 1/1 लगायत 1/15 में से प्रार्थी/आपत्तिकर्ता 1/14 अशोक कुमावत द्वारा ही आवेदन पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया है, जबकि अन्य वादीगण द्वारा इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि प्रार्थी/आपत्तिकर्ता 1/14 अशोक कुमावत द्वारा प्रस्तुत आवेदन प्रकरण को लंबित करने की नियत से प्रस्तुत किया गया है, इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/आपत्तिकर्ता 1/14 अशोक कुमावत द्वारा आवेदन पत्र आपत्ति विभाजन प्रस्ताव खारिज किया जाता है।

चूंकि वादीगण द्वारा वाद बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा अं0 धारा 53, 188 राज0काश्त0अधिनियम 1955 के अंतर्गत पेश किया है तथा विवादित भूमियां वादीगण एंव प्रति0सं0 1 की संयुक्त खातेदारी व अविभाजित कृषि भूमियां है, जिसका पक्षकारान बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा करवाना चाहते है। पक्षकारान की सहमति से न्यायालय हाजा द्वारा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार, दांतारामगढ़ से विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये थे तथा तहसीलदार,दांतारामगढ़ द्वारा जरिये पत्रांक भू0अ0/24/4164 दिनांक 02.08.24 से विभाजन प्रस्ताव भिजवाये है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, दांतारामगढ़ के अनुसार फाईनल डिक्री जारी की जाती है। तहसीलदार, दांतारामगढ़ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पत्रांक भू0अ0/24/4164 दिनांक 02.08.24 फाईनल डिक्री का पार्ट रहेगा। आराजी कृषि भूमियां ख0नं0 ख0नं0 828 रकबा 2.4700 है0 ख0नं0 851 रकबा 0.0900 है0 ख0नं0 852 रकबा 4.0800 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 6.6400 है0 तथा ख0नं0 849 रकबा 1.3300 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.3300 है0 ग्राम पलसाना प0ह0 पलसाना भू0अ0नि0 क्षेत्र पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में स्थित भूमि में निम्न प्रकार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं:–

| क्र. स. | नाम खातेदार | खसरा नम्बर | रकबा | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | प्रभूदयाल पुत्र जोधाराम हि0 पूर्ण राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा पलसाना जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार | 849/1 | 0.5400 | बा.1 | |
| | | 849/3 | 0.7350 | बा.1 | |
| | | 828/1 | 2.2280 | बा.1 | |
| | | 852/1 | 0.1500 | बा.1 | |
| | | 828/4 | 0.1510 | बा.1 | |
| | | 852/3 | 0.1075 | बा.1 | |
| | | किता 6 | 3.9115 | बा.1 | |

|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | कजोड़ पुत्र जोधाराम हि0 पूर्ण राहिन पंजाब नेशनल बैक शाखा पलसाना जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार | 851 | 0.0900 | बा.1 |  |
|  |  | 828/5 | 0.0150 | बा.1 |  |
|  |  | 828/3 | 0.0240 | बा.1 |  |
|  |  | 852/4 | 3.7825 | बा.1 |  |
|  |  | किता 4 | 3.9115 | बा.1 |  |
| 3. | प्रभूदयाल पुत्र जोधाराम हि0 1/2 कजोड़ पुत्र जोधाराम हि0 1/2 समस्त जाति जाति कुम्हार (प्रजापति) सा0 देह खातेदार राहिन पी0एन0बी0 पलसाना | 849/2 | 0.0550 | बा.1 |  |
|  |  | 852/2 | 0.0400 | बा.1 |  |
|  |  | 828/2 | 0.0520 | बा.1 |  |
|  |  | किता 3 | 0.1470 | बा.1 |  |

तहसीलदार, दांतारामगढ़,सीकर को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील कागजात दाखिल दफतर हो।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर

निर्णय आज दिनांक 15.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु0) सीकर